

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)



शाखा-संपदा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

फा.क./15/संपदा/भूखण्ड/2022

कोरबा, दिनांक 16.10.2022

रिक्त भूखण्ड के निविदा की आम सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा के आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत पं.रविशंकर शुक्ल नगर विस्तार कोरबा के निम्नलिखित तालिका अनुसार रिक्त भूखण्ड के आबंटन हेतु उच्चतम प्रीमियम की निविदा दिनांक 19.10.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे तक बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिवस सायं 04.00 बजे को उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष निविदा खोली जावेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अमानत राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय हो, निगम कोष में दिनांक 18.10.2022 कार्यालयीन अवधि में जमा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा प्रपत्र रुपये 1000/- नगद जमा कर दिनांक 19.09.2022 से 18.10.2022 तक निगम कार्यालय साकेत भवन से प्राप्त की जा सकती है। भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है:-

रिक्त भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड की संख्या	भूखण्ड की साईज	प्रति भूखण्ड का बाजार मूल्य (आफसेट प्राईज)	प्रतिमूति/अमानत राशि प्रति भूखण्ड
1	व्यावसायिक भूखण्ड	C 14	9.50x18.00 Mtr=171.00 वर्गमी.	2684700/-	268470/-

- नोट :-
1. प्रत्येक भूखण्ड के लिए पृथक-पृथक अमानत राशि जमा कर पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करना होगा।
 2. एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को केवल एक ही भूखण्ड की पात्रता होगी।
 3. रिक्त भूखण्डों का ले-आउट प्लान तथा निविदा की विस्तृत शर्तें नगर पालिक निगम कोरबा कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर देखी जा सकती है।


संपदा अधिकारी,
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छत्तीसगढ़)

भूखण्ड नीलामी/प्रस्थापना की शर्तें

1. भूखण्डों की नीलामी/प्रस्थापना पृथक-पृथक की जावेगी।
2. खुले नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने के पूर्व निर्धारित अमानत राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के कोई भी व्यक्ति नीलामी/प्रस्थापना में भाग नहीं ले सकेगा तथा न ही बोली/प्रस्थापना पर विचार किया जावेगा।
3. उच्चतम निविदा/प्रस्थापना छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम एवं अचल संपत्ति अंतरण नियम में स्वीकृति के अधीन होगी।
4. छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 के तहत में निगम आयुक्त उच्चतम निविदा/प्रस्थापना स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
5. (अ) उच्चतम निविदा/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी निविदा/प्रस्थापना शर्त (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिये गये है, निविदा/प्रस्थापना की शत प्रतिशत राशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिग्रहित कर ली जायेगी।
(ब) उच्चतम निविदा/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को बोली की 10 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करना होगा (इसमें जमा अमानत राशि समायोजित की जावेगी)। शेष 90 प्रतिशत निविदा की राशि शासन की सक्षम स्वीकृति उपरांत 30 दिवस के भीतर निगम कोष में जमा करना होगा। विलम्ब की अवस्था में 18 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
6. यथास्थिति निविदा विक्रय के समाप्त होने पर/प्रस्थापना किये जाने के तत्काल पश्चात यथास्थिति प्रथम 2 उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना करने वालों की प्रतिभूति निक्षेप की राशि छोड़कर शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।
7. जैसे ही निविदा/प्रस्थापना की पूरी राशि उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा की जाती है, शेष बचे 01 बोली लगाने/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जायेगी।
8. यदि उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना करने वाले जिसकी निविदा/प्रस्थापना स्वीकृत की गई है, द्वारा निविदा/प्रस्थापना की राशि विहित समय की भीतर जमा नहीं की जाती है, तब शर्त (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना स्वीकृत कर सकेगा तथा यदि ऐसी निविदा लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर निविदा/प्रस्थापना की राशि जमा नहीं की जाती है, तब ऐसे द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि भी अभिग्रहित कर ली जावेगी।
9. यदि शर्त (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम निविदा/प्रस्थापना को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः निविदा विक्रय किया जायेगा/प्रस्थापना अमंत्रित किया जाये, तब यथास्थिति द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता या प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी।
10. प्रत्येक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को केवल एक ही भूखण्ड आबंटन की पात्रता होगी, जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारूप में शपथ देना होगा।

क्रमशः.....2/.



11. नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति को आबंटन स्वीकृति की स्थिति में यदि वह विवाहित है तो भूखण्ड का आबंटन उसके तथा उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जावेगा।
12. भूखण्ड की निविदा/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति अपनी निविदा/प्रस्थापना देने के पूर्व संबंधित भूखण्ड के क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति एवं प्लॉट की यथा स्थिति के बारे में संतुष्ट होकर ही भाग लेंगे। निविदा/प्रस्थापना प्राप्त होने के पश्चात इस संबंध में उनका कोई अभ्यावेदन अथवा दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा। किन्तु यदि भूखण्ड का आधिपत्य सौंपने के समय स्थल पर भूखण्ड के आकार में कोई अंतर पाया जाता है तो यथा स्थिति स्वीकृत दर पर अंतर की राशि जमा अथवा वापसी निगम द्वारा की जा सकेगी। इसमें कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
13. निविदा/प्रस्थापना स्वीकृति की स्थिति में निर्धारित अवधि में पूर्ण राशि जमा करने पर आबंटिती को 6 माह की अवधि के भीतर आबंटित भूखण्ड की लीज डीड पंजीयन (रजिस्ट्री) निर्धारित राशि के स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
14. निविदा में सफल निविदाकर्ता/प्रस्थापना की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आबंटिती को निर्धारित 30 दिवस की अवधि में संपूर्ण राशि जमा करते हुए आधिपत्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा एवं 6 माह के भीतर भवन निर्माण अनुमति प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण कराना होगा।
15. जिस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक निविदाविक्रय/प्रस्थापना में भूखण्ड लिया जावेगा, वह व्यक्ति निगम की बिना पूर्व स्वीकृति के भूखण्ड का विक्रय नहीं कर सकेगा। नाम परिवर्तन इच्छुक होने पर आबंटिती को नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन करना होगा, जिस पर शासन के दिशा निर्देश के अनुसार विचार किया जाकर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी, किन्तु भूखण्ड आबंटन के 5 वर्ष के अवधि के अंदर ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
16. आबंटिती को आबंटित भूखण्ड का निर्धारित लीज रेंट एवं समस्त अन्य करों का भुगतान नगर पालिक निगम कोरबा एवं संबंधित विभाग को करना होगा।
17. नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त को अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निविदा के दौरान किसी भी व्यक्ति को युक्तियुक्त कारणों पर निविदा से रोक दें जिसके लिए व्यक्ति विशेष को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
18. उपरोक्त नीलामी शर्तों के क्रियान्वयन अथवा उसके व्याख्या में कोई विवाद होने पर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त व्यक्ति को पंच फैसला हेतु आवेदन किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम व पक्षकारों को मान्य होगा।
19. कोई निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का नगर पालिक निगम आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा।
20. लीज-डीड हेतु नगर पालिक निगम कोरबा के स्वीकृति इकरारनामा प्रारूप को इन शर्तों का भाग माना जावेगा। दोनों में विरोधाभास होने पर स्वीकृत इकरारनामा प्रारूप को अंतिम माना जावेगा।
21. नगर पालिक निगम द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, निर्देश व शर्तें आबंटिती को मानने के लिए बाध्य होगी।


 संपदा अधिकारी
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छत्तीसगढ़)